भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3290

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025/17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

डीएपी का आयात और बिक्री

3290. डॉ. संबित पात्रा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त वर्ष 2023-2024 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान डीएपी के आयात और बिक्री में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या चीन ने डीएपी और अन्य उर्वरकों के निर्यात के संबंध में भारत पर निर्यात प्रतिबंध लगाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश के किसानों को डीएपी की सुचारू और किफायती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;
(घ) क्या सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी, नवीन उर्वरक उत्पादों को शुरू करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): डाई-अमोनियम फॉस्फेट(डीएपी) सहित फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरक मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किए जाते हैं। उर्वरक कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। 2023-24 और 2024-25 के दौरान आयातित और बेचे गए डीएपी का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**डीएपी की पीओएस बिक्री (एलएमटी में)**	**कुल आयात (एलएमटी में)**
2023-24	109.72	56.71
2024-25	96.29	49.72

(ख): अक्टूबर 2021 में चीन ने डीएपी सहित उर्वरक से संबंधित वस्तुओं के निर्यात से पहले अनिवार्य अतिरिक्त निरीक्षण की आवश्यकता वाली वस्तुओं की अपनी सूची में संशोधन किया था।

(ग): एनबीएस स्कीम के तहत, उर्वरक कंपनियों द्वारा एमआरपी को बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार यथोचित स्तर पर नियत किया जाता हैं, जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। हालांकि खरीफ मौसम 2025 के लिए सहज और वहनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, विशेष प्रावधान जैसे 'अन्य लागतों', जिनमें कारखाने के गेट से फार्म गेट तक की लागत, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के

कारण लाभ/नुकसान शामिल हैं, को कवर करने के लिए 3500 रु प्रति मीट्रिक टन का प्रावधान, एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर से उचित रिटर्न के प्रावधान को आयातित टीएसपी आयातित तथा घरेलू डीएपी दोनों के लिए एनबीएस सब्सिडी के अतिरिक्त प्रदान किया गया है।

(घ): आयात पर निर्भरता को कम करने और पोषक तत्व पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, भारत नैनो-उर्वरकों (उदाहरण के लिए, नैनो-यूरिया) जैसे नवोन्मेषी उर्वरकों, अनुकूलित और संपुष्ट उर्वरकों (उदाहरण के लिए, सल्फर लेपित यूरिया, जिंक-समृद्ध डीएपी), जैव उर्वरक और धीमी या नियंत्रित गति से रिलीज़ होने वाले उर्वरक-सूत्रों के विकास और इन्हें अपनाने को प्रोत्साहित कर रहा है। ये नवाचार पोषक तत्व उपयोग दक्षता को बढ़ाते हैं, अनुप्रयोग दरों को कम करते हैं और पोषक तत्वों के नुकसान को कम करते हैं, जिससे आयातित उर्वरकों की मांग कम हो जाती है। भारत सरकार ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत विभिन्न नैनो नाइट्रोजन उर्वरकों को अधिसूचित किया है। इनमें 15 अप्रैल 2024 को राजपत्र अधिसूचना सां.आ.1801(ई) के माध्यम से अधिसूचित इफको का 16% नाइट्रोजन निहित नैनो यूरिया प्लस, 2 मार्च 2023 को सां.आ.1026 (अ) के माध्यम से अधिसूचित जुआरी फार्म हब का नैनो यूरिया (8%) और 6 मार्च 2023 को सां.आ. 1144 (अ) के माध्यम से अधिसूचित रे नैनो एंड रिसर्च सेंटर का नैनो यूरिया (4.4%) शामिल है।

इसी प्रकार, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू) ने राजपत्रित अधिसूचना सां.आ.1025(अ) और 1026(अ) दिनांक 02 मार्च, 2023 के जरिये नैनो डीएपी के उत्पादन के लिए क्रमश: मेसर्स इफको और सीआईएल को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, जुआरी फार्म हब लिमिटेड द्वारा विकसित नैनो डीएपी को भी दिनांक 29 नवंबर 2023 की राजपत्र अधिसूचना सां.आ.5077(अ) के माध्यम से उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) के तहत अधिसूचित किया गया है जबकि नेचुरल प्लांट प्रोटेक्शन लिमिटेड द्वारा विकसित नैनो डीएपी को इसी तरह दिनांक 22 अप्रैल 2024 की राजपत्रित अधिसूचना सां.आ. 1785(अ) के माध्यम से एफसीओ के तहत अधिसूचित किया गया था।

(ङ.): किसानों के बीच नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों, जिनमें जागरूकता गतिविधियों जैसे शिविरों, वेबिनारों (नुक्कड़ नाटकों, क्षेत्र प्रदर्शनों, किसान सम्मेलनों और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई है। संबंधित कम्पनियों द्वारा नैनो यूरिया सहित नैनो उर्वरक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उर्वरक विभाग द्वारा नियमित रूप से जारी मासिक आपूर्ति योजना में नैनो उर्वरकों को शामिल किया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल के माध्यम से हाल ही में "उर्वरकों (नैनो-उर्वरकों सहित) के प्रभावकारी और संतुलित उपयोग" पर राष्ट्रीय अभियान का आयोजन किया था। पर्णीय अनुप्रयोग के माध्यम से अनुप्रयोग को सुगम बनाने के लिए, 'किसान ड्रोन' के प्रयोग और खुदरा दुकानों पर बैटरी चालित स्प्रेयरों के वितरण जैसी पहलें की गई हैं। ग्राम स्तर के उद्यमियों के माध्यम से प्रायोगिक प्रशिक्षण और कस्टम हायरिंग स्प्रेयिंग सेवाओं को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, उर्वरक विभाग ने उर्वरक कंपनियों के सहयोग से हितधारकों के परामर्शों और क्षेत्र स्तरीय प्रदर्शनों के माध्यम से सभी 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में नैनो डीएपी को अपनाने के लिए एक 'महाअभियान' शुरू किया है। देश के 100 जिलों में नैनो यूरिया प्लस के फील्ड स्तरीय प्रदर्शनों और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए भी अभियान शुरू किया है।

*****